सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(तकनीकी विकास और स्थानांतरण प्रभाग)
https://dst.gov.in/

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग के पास बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास से लेकर दूसरी ओर उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से आम आदमी की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक गतिविधियाँ हैं।

डीएसटी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। हैं। नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन की एक व्यापक योजना के माध्यम से, विभाग अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के तहत पहचान किए गए क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और समर्थन कर रहा है। हाल के दिनों में, डीएसटी ने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/संस्थानों में प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकियों का विकास और परिनियोजन हुआ है।

विभाग प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का समर्थन करता रहा है जिसमें सामग्री, उपकरण और प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम(टीडीपी), उन्नत/उभरते क्षेत्रों और पारंपरिक क्षेत्रों/क्षेत्रों दोनों में प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से गतिविधियों का समर्थन करता है। कार्यक्रम के तहत, उपयोगी प्रौद्योगिकी/उत्पाद में उनके संभावित रूपांतरण के लिए नए विचारों/अवधारणाओं की व्यवहार्यता का भी आकलन किया जाता है।

डीएसटी द्वारा प्रौद्योगिकी विकास कार्य/प्रोटोटाइप निर्माण करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे/सुविधाओं वाले शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/प्रौद्योगिकीविदों से प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए एक नई कॉल की योजना बनाई गई है। पहचान किए गए क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

डीएसटी वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव आमंत्रित करता है:-
1. उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियां (एएमटी)
2. अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां (डब्ल्यूएमटी)
3. जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम
4. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टीडीपी)
5. चिकित्सीय रसायन (टीसी)

पात्रता मापदंड:

1. विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/प्रौद्योगिकीविदों द्वारा केवल ऑनलाइन पोर्टल (**https://onlinedst.gov.in/**) का उपयोग करके प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने चाहिए; अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधाएं हैं। पीआई उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के बाद या अपनी पहले से पंजीकृत आईडी का उपयोग करके "प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण" प्रभाग के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. इस कॉल के तहत मौलिक आर एंड डी प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया जाएगा।
3. इस कॉल के तहत विचार के योग्य बनने के लिए लैब प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करना अनिवार्य है।
4. डीएसटी के एएमटी, डब्ल्यूएमटी, बीडीटीडी, टीडीपी, और टीसी कार्यक्रमों में से किसी के तहत पहले से ही चल रही परियोजनाओं वाले पीआई या समूह केवल तभी आवेदन कर सकते हैं जब परियोजना के पूरा होने के लिए छह महीने या उससे कम समय हो।
5. बायोमेडिकल डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम (बीडीटीडी) के कार्यक्रम क्षेत्र के तहत आवेदन जमा करने के लिए, एक चिकित्सक को सह-पीआई के रूप में जांच दल के साथ शामिल होना चाहिए।
6. प्रस्ताव को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 30.06.2023 , शाम 5.00 बजे
(नोट: कृपया अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए प्रस्ताव को ऑनलाइन जमा करने से पहले ही पूरा कर लें!)